भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1168

सोमवार, 25 जुलाई, 2022/03 श्रावण, 1944 (शक(

बाल श्रमिक/कामागार

1168. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
श्री बी.बी.पाटील:
श्री रमेश बिन्द:
श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
डां. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्रीमती पूनम महाजन:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:
श्रीमती अपरूपा पोद्दार:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्री हेमन्त पाटिल:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में सम्पूर्ण देश में बाल श्रम की कुल कितनी घटनाएं सामने आई हैं और कितने बाल श्रमिकों को बचाया गया है;

(ख) क्या महामारी और उससे संबंधित वित्तीय कठिनाइयों के कारण बाल श्रम की घटनाओं में वृद्धि हुई है और क्या बच्चों के कल्याण पर प्रभाव को समझने हेतु अलग समिति गठित करने की कोई योजना है;

(ग) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित 14 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का चिन्हित नौकरियों के प्रकार सहित आंकड़े रखती है और यदि हां, तो उनकी औसत कमाई सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त व्यवसायों में नियोजित बच्चे मजबूरी में अथवा सामाजिक आर्थिक आवश्यकता के फलस्वरूप या स्वेच्छा से इन व्यवसायों में काम करते हैं और यदि हां, तो 14 वर्ष से अधिक और

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को कम करने अथवा समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने परिवार की वित्तीय अस्थिरता के कारण नौकरी करने के लिए मजदूर बच्चों के पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) 15 जिलों में सक्रिय है और यदि हां, तो स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता अनुदान योजना सहित अन्य जिलों में नए विशेष केन्द्र खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और सरकार द्वारा एनसीएलपी को समग्र शिक्षा योजना के साथ विलय के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;और

(छ) क्या राज्य सरकारों ने बाल श्रम कानून में बदलाव करने की मांग उठाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रकाशन "भारत में अपराध, 2020" के अनुसार, देश में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत वर्ष 2016 से 2020 के दौरान क्रमश: 204, 462, 464, 772 और 476 मामले पंजीकृत किए गए थे। पिछले पांच वित्तीय वर्षों अर्थात 2017-18 से 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना के अंतर्गत काम से मुक्त कराए/छुड़ाए गए, पुनर्वास कराए गए और मुख्यधारा में लाए गए बच्चों की संख्या क्रमश: 47635 , 50284 , 54894, 58289 और 13271 (अनंतिम) थी।

(ग): वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 14 से 18 वर्ष के आयु समूह के मुख्य कामगारों का व्यवसाय -वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

कृषक	29,86,152
कृषि श्रमिक	51,12,374
घरेलू उद्योग कामगार	6,45,672
अन्य कामगार	54,32,990
कुल कामगार	1,41,77,188

(घ) और (ङ): बच्चों को बाल श्रमिकों के रूप में नियोजित करने से रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन। संशोधित अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के किसी भी व्यवसाय और प्रक्रियाओं में काम करने या रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों के खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने या रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का उपबंध है। इसमें अधिनियम के उल्लंघन के लिए नियोक्ताओं के लिए कड़ी सजा का भी उपबंध है और अपराध को संज्ञेय बनाया गया है।

(ii) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन केन्द्रीय नियम बनाना

(iii) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बिन्दुओं की गणना करते हुए आदर्श राज्य कार्य योजना बनाना।

(iv) उन व्यवसायों/प्रक्रियाओं की पहचान और अधिसूचित करना जिनमें चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चे काम में सहायता नहीं कर सकते; तथा इसके साथ ही वे व्यवसाय/प्रक्रियाएं भी जहां किशोर काम नहीं कर सकते हैं।

(च): एनसीएलपी को दिनांक 31.03.2021 तक जारी रखने का अनुमोदन किया गया था तथा तब से इसे समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के साथ सम्मिलित/विलयित कर दिया गया है। दिनांक 20.07.2022 की स्थिति के अनुसार, विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी), जो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.03.2021 से पहले अनुमोदित किए गए थे और जिन्हें एनसीएलपी योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अभी दो वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, और पश्चिम बंगाल के 8 जिलों में क्रियाशील हैं।

(छ): बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में वर्ष 2016 में संशोधन किया गया था तथा संशोधित अधिनियम को अब बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 कहा जाता है। बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में राज्य सरकार द्वारा संशोधन की मांग करने से संबंधित कोई प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में लंबित नहीं है।

*****